


उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या- 3426/9-1-2012-101सा/2002टीसी
लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2012

अधिसूचना
आदेश

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;


2- अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश की स्थानीय नागर निकायों की समस्त सेवाओं, में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

3- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 3426 (1)/9-1-2012, तददिनांक।


प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रभारी, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से कि इस अधिसूचना को 23 अगस्त, 2012 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित कर उसकी 250 प्रतियां शासन को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 3426 (2)/9-1-2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ को इस आदेश के साथ कि वे उक्त आदेश, के अनुपालनार्थ समस्त नगर आयुक्त/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को अपने स्तर से तत्काल सूचित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतें (द्वारा जिलाधिकारी)
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- ✓ 7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
23/8/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikash Anubhag-1

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3426/ 9-1-2012-101 sa/ 2002 Tc dated 23 August, 2012

NOTIFICATION

ORDER

No. 3426 /9-1-2012-101 sa/2002TC


Lucknow: Dated : 23 August, 2012

Whereas the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do;

2. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section(1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit strikes with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, in all the services of Urban Local Bodies of Uttar Pradesh for a period of six months.

3. Under sub-section (2) of section 3 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the Gazette.

BY Order,



(PRAVIR KUMAR)

Pramukh Sachiv.